



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एन, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc2.jko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यूपी०/०६/३१६/२०२२/एफ.सी. 1814

दिनांक: 09.01.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या--FP/UP/Road/119900/2021

विषय: जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (एल०डब्ल्यू०ई०) के अंतर्गत सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग किमी० ०.०० से १९.२० तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल ११.७९ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बाधक ११२ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-३४८/८१-२-२०२२-८००(३७२)/२०२२, दिनांक १४.१२.२०२२

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per the GIS-DSS analysis, the demarcation of the area proposed for diversion is undervalued. This needs rectification/clarification.
2. As per the proposal, 11 patches of the CA land proposed in non-forest land, but according to the DSS out of 11 patches, 05 patches have been fall in the Reserve Forest area (Khasra No. 45, 10, 8, 1305 & 1306). This needs rectification/clarification.
3. Consolidate patch of at-least 5.00 ha needs to be provided for CA. Also CA land has to be contiguous to Forest Block. Accordingly, CA scheme and all related documents need to be revised.
4. The Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land need to be submitted.
5. Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.
6. The sanction letter submitted with the proposal does not indicate the widening of this particular road and the length of road to be widened. The necessary document needs to be provided.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, राबर्टसगंज, सोनभद्र
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}